अनुबंध

''28 दिसंबर 2010 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 32 का अनुबंध''

विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग के बाबत व्यापक दिशानिर्देश (फॉरेन एक्स्चेंज डेरिवेटिव और कमोडिटी प्राइसेज़ तथा फ्रेट जोखिमों के लिए ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश)

काउंटर पर विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्यों की कीमतों और भाड़े संबंधी जोखिमों के बाबत ओवरसीज़ हेजिंग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश इस दस्तावेज में विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव का प्रयोग करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों एवं उपयोगकर्ताओं (यूजरों) के सदंर्भ/जानकारी के लिए दिए जाते हैं। यह दस्तावेज निम्नलिखित खंडों में विभाजित है:

I. खंड "ए" -दिशानिर्देशों की पृष्ठभूमि

II. खंड "बी" - भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I बैंकों से भिन्न) के लिए दिशानिर्देश

III. खंड "सी" - भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

IV. खंड "डी" - प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I के लिए दिशानिर्देश

V. खंड "ई" -पण्यों से डेरिवेटिव (commodity derivatives)के संबंध में दिशानिर्देश

VI. खंड "एफ" -भाड़े से डेरिवेटिव (freight derivatives) के लिए दिशानिर्देश

VII. खंड "जी " -रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

खंड "ए"

I. पृष्ठभूमि

नीचे व्यक्तियों की उन श्रेणियों का ब्योरा दिया गया है जिन्हें विदेशी मुद्रा विनिमय दर तथा ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा विनिमय दर एक्स्पोजरों की विभिन्न श्रेणियों की हेजिंग के लिए सूची में दिए गए अनुमत उत्पादों का उपयोग करने के लिए भारत में ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा बाजार में पहुंचने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, निवासियों को पण्यों (उपयोगी वस्तुओं/जिन्सों) की कीमतों तथा ओवरसीज़ भाड़ेगत जोखिमों की हेजिंग के लिए सुविधाओं का ब्योरा नीचे खंड "ई" तथा "एफ" में दिया गया है।

II. भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I बैंकों से भिन्न) के लिए

1) **संविदागत एक्स्पोज़र**-निम्नलिखित उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है:

i) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC)

ii) क्रास करेंसी आप्शंस (रुपए को छोड़कर)(CCO)

iii) विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस (FC-INR Options)

iv) विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप(FC-INR Swaps)

v) लागत घटाने संबंधी ढांचा(Cost Reduction Structures)

vi) क्रास करेंसी स्वाप, ब्याज दर स्वाप, कूपन स्वाप, ब्याज दर कैप या कालर (क्रय), वायदा दर करार

(Cross currency swap, interest rate swap, coupon swap, interest rate cap or collar (purchase), forward rate agreement)

2) **विगत निष्पादन पर आधारित संभावित एक्स्पोज़र**-निम्नलिखित उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है:

i) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC)

ii) क्रास करेंसी आप्शंस (रुपए को छोड़कर)(CCO)

iii) विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस (FC-INR Options)

iv) लागत घटाने संबंधी ढांचा(CRS)

3) **विशेष छूट**- विशेष छूट के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों को अनुमति दी गई है

i. **लघु तथा मध्यम उद्यम(SMEs)[1]-** इन उद्यमों को अपने विदेशी मुद्रा संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्स्पोजरों को हेज करने के लिए अंतर्निहित लिखतों को प्रस्तुत किए बिना वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं बुक करने की अनुमति है।

- उत्पाद- वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC)

ii. **निवासी व्यक्ति**-निवासी व्यक्ति अंतर्निहित दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना स्वयं घोषणा करके 1,00,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के अपने आवक और जावक दोनों प्रकार के वास्तविक या प्रत्याशित प्रेषणों(रेमिटेंसेस) से उत्पन्न विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज कर सकते हैं।

- उत्पाद- वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC)

iii. **भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति**-निम्नलिखित श्रेणियों को अपने संविदागत विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज करने की अनुमति है:

i) विदेशी संस्थागत निवेशक

ii) व्यक्ति जिनका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में है

iii) अनिवासी भारतीय

इन श्रेणियों के लिए, बाद में दी गई शर्तों के तहत, निम्नलिखित उत्पादों की मार्फत हेज करने की अनुमति है:

क) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं (FFEC)

ख)विदेशी मुद्रा -आईएनआर आप्शंस(FC-INR Options)

iv. **प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी I -** निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हेजिंग की जा सकती है:

i) परिसंपत्तियों तथा देयताओं के प्रबंधन के लिए

ii) सोने की कीमतों संबंधी जोखिमों के लिए

---

[1] ग्रामीण आयोज़ना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. ग्राआऋवि.प्लानि.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 में यथा परिभाषित लघु तथा मध्यम उद्यम।

iii) पूंजी संबंधी जोखिमों के लिए हेजिंग

प्रत्येक प्रयोजन हेतु उत्पाद तथा शर्तें आगे दी गई हैं।

v. **पण्य(कमोडिटी)डेरिवेटिव**

निवासियों को, संबंधित पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, पण्यों की कीमतों संबंधी एक्स्पोजरों की हेजिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओवर दि काउंटर तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड पण्य डेरिवेटिव का उपयोग करने की अनुमति है। कंपनियों /फर्मों के पण्यों के हेजिंग संबंधी आवेदनपत्र जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को प्रत्यायोजित अधिकारों में नहीं आते हैं या अंतर्राष्ट्रीय कीमतों संबंधी प्रणालीगत एक्स्पोजरों से रूबरू ग्राहकों के आवेदनपत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रसारित किए जाएं।

vi. **भाड़े (फ्रेट) संबंधी डेरिवेटिव**

घरेलू तेल परिष्करण(domestic oil refining) तथा जहाजरानी (शिपिंग) कंपनियों को, संबंधित पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाड़ेगत जोखिमों संबंधी एक्स्पोजरों की हेजिंग के लिए ओवर दि काउंटर तथा एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्रेट डेरिवेटिव का प्रयोग करने की अनुमति है। भाड़ेगत जोखिमों संबंधी एक्स्पोजरों से रूबरू अन्य कंपनियाँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त कर सकती हैं।

vii. **<u>रिपोर्टें</u>**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, इस खंड में दिए गए ब्योरे के अनुसार, डेरिवेटिव उत्पादों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

खंड -"बी"

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से भिन्न भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए उत्पाद

भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से भिन्न) के लिए ये सुविधाएं पैरा "बी-I" तथा "बी-II" में दी गई हैं। **पैरा "बी-I"** में उत्पादों तथा संबंधित उत्पादों के संबंध में परिचालनीय दिशानिर्देर्श दिए गए हैं। पैरा "बी-I" में दिए गए परिचालनीय दिशाननिर्देशों के अलावा सामान्य अनुदेश जो भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से भिन्न) के लिए सभी उत्पादों पर समान रूप से लागू हैं, **पैरा "बी-II"** में दिए गए हैं।

"बी-I" उत्पाद और परिचालनीय दिशानिर्देश

भारत में निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से भिन्न) के लिए उत्पादवार/प्रयोजनवार सुविधाओं का ब्योरा निम्नलिखित उप-शीर्षों में दिया गया है:-

1) संविदागत एक्स्पोजर

2) संभावित एक्स्पोजर

3) विशेष छूट

1) संविदागत एक्स्पोजर

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अंतर्निहित दस्तावेजों को साक्ष्यांकित करें ताकि अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों की मौजूदगी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। भले ही लेनदेन चालू खाते के हों या पूंजी खाते के, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के मार्फत अंतर्निहित एक्स्पोजरों की मौलिकता से संतुष्ट होना चाहिए। मूल दस्तावेजों पर संविदा के पूरे ब्योरे/विवरण उचित प्रमाणन के तहत मार्क किए जाएं तथा उन्हें सत्यापन के लिए सुरक्षित रखा जाए। तथापि, जहाँ मूल दस्तावेजों की प्रस्तुति संभव न हो, वहाँ यूजर के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की हुई मूल दस्तावजों की प्रतिलिपि प्राप्त की जाए। इनमें से किसी भी मामले में संविदा का प्रस्ताव (आफर) देने से पूर्व प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक से तत्संबंध में वचनपत्र एवं

उसके सांविधिक लेखापरीक्षक से तिमाही विवरण भी प्राप्त करें (ब्योरे के लिए सामान्य अनुदेशों हेतु खंड "बी" का पैरा II (b) देखें। जबकि संविदा बुक करते समय अंतर्निहित लिखत के ब्योरे दर्ज किए जाने हैं, तथापि, पारवहन/ढुलाई के मामले में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जा सकता। यदि ग्राहक 15 दिनों में दस्तावेज प्रस्तुत न करे तो संविदा को रद्द कर दिया जाए तथा विदेशी मुद्रागत लाभ, यदि कोई हुआ हो, ग्राहक को न दिया जाए। किसी वित्तीय वर्ष में किसी ग्राहक द्वारा 15 दिनों में दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के 3 से अधिक अवसरों/मामलों के होने पर भविष्य में संविदा बुक करते समय अनुमत डेरिवेटिव संविदाएं केवल अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही बुक की जाएं।

इस सुविधा के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध हैं:

i) **वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं**

सहभागी

मार्केट मेकर- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

यूजर(उपयोगकर्ता)- भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

प्रयोजन/उद्देश्य

a) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 या उसके अंतर्गत बनाए गए/जारी नियमों/विनियमों/ निदेशों/ अनुदेशों के अनुसार अनुमत विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय संबंधी लेनदेनों के बाबत विनिमय दर को सुरक्षित(हेज) करने के लिए ।

b) विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (ईक्विटी या ऋणों में) के बाजार मूल्य के संबंध में विनिमय दर जोखिम को सुरक्षित (हेज) करने के लिए।

i) विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (ODI) को कवर करने वाली संविदाओं को नियत तारीख को रद्द या रोल ओवर किया जा सकता है। हालांकि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक रद्द की गई संविदा के 50% तक की सीमा तक पुन: बुकिंग की अनुमति दे सकते हैं।

ii) यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाजार मूल्य में संकुचन (कीमतों के संचलन/क्षरण होने) के कारण हेज पूर्णत: या अंशत: खुल जाता (naked हो जाता) है तो ग्राहक की सहमति से हेज को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। देय

(ड्यू) तारीख को रोल ओवर तद्दिनांक के बाजार मूल्य की सीमा तक दिया जा सकता है।

c) विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत किन्तु रुपए में भुगतान/निपटान किए जाने वाले लेनदेनों संबंधी विनिमय दर जोखिम जिसमें आयात पर भुगतान किए जाने वाले सीमाशुल्क से संबंधित आयातक के आर्थिक (करेंसी इंडेक्स) एक्स्पोजर शामिल हैं, को हेज करने के लिए।

i) ऐसे लेनदेनों को अंतर्विष्ट करने वाली वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का निपटान/भुगतान परिपक्वता पर नकद किया जाएगा।

ii) ये संविदाएं एक बार रद्द होने पर फिर से बुक होने की पात्र नहीं हैं।

iii) वायदा संविदा की तारीख के बाद सरकारी अधिसूचना से सीमाशुल्क दर (दरों) में परिवर्तन होने पर आयातकर्ताओं को परिपक्वता से पूर्व संविदा/संविदाओं को रद्द करने और/ या फिर से बुक करने की अनुमति दी जाएगी।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश तथा शर्तें</u>

वायदा विदेशी मुद्रा संविदा के लिए पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं:

a) हेज की परिपक्वता अवधि, अंतर्निहित लेनदेन की परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लिखित प्रतिबंधो (शर्तों) के तहत हेज की जाने वाली मुद्रा तथा उसकी अवधि ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होगी। जहाँ हेज की गई मुद्रा अंतर्निहित एक्स्पोजर से भिन्न हो, वहाँ कारपोरेट के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में ऐसी हेजिंग के लिए अनुमति होनी चाहिए।

b) जहाँ अतर्निहित लेनदेन की राशि ठीक-ठीक सुनिश्चित न की जा सकती हो, वहाँ तर्कसंगत /सुसंगत अनुमान के आधार पर संविदा बुक की जा सकती है। तथापि, इन अनुमानों की आवधिक समीक्षा होनी चाहिए।

c) विदेशी मुद्रा ऋण/बांड हेजिंग के लिए तभी पात्र होंगे जब इस संबंध में, जहाँ आवश्यक हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण पंजीकरण नंबर (LRN) आबंटित कर दिया गया हो।

d) ग्लोबल डिपाजिटरी रसीदें/अमरीकी डिपाजिटरी रसीदें निर्गम(इश्यू) की कीमत/मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने पर ही हेजिंग के लिए पात्र होंगी।

e) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी खातेगत जमाशेष, जिन्हें खाताधारक द्वारा वायदा के रूप में बेचा गया हो, सुपुर्दगी के लिए चिह्नित रहेंगे तथा ये संविदाएं रद्द नहीं होंगी। हालांकि, वे परिपक्वता पर रोल ओवर के लिए पात्र होंगी।

f) सभी गैर भारतीय रुपया वायदा संविदाएं रद्द होने पर निम्नलिखित मद (h) की शर्तों के तहत फिर से बुक की जा सकती हैं। वायदा संविदाएं जिनमें (मुद्राओं में) से एक मुद्रा रुपया है, जिसे निवासियों ने चालू खाते के लेनदेनों को हेज करने के लिए बुक किया है, भले ही उनकी अवधि कितनी भी क्यों न हो , और पूंजीगत खाते को हेज करने के लिए, जो एक वर्ष में देय हों, को निम्नलिखित मद(h) की शर्तों के तहत रद्द करने और फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। संविदाओं को रद्द करने और फिर से बुक करने की यह ढील उन वायदा संविदाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिन्हें पिछले निष्पादन के आधार पर बिना दस्तावेजों के बुक किया गया है साथ ही साथ उनके लिए भी जिन्हें विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत (या इंडेक्स) लेनदेनों, किन्तु जिनका भारतीय रुपए में भुगतान/ निपटान होना हो, को हेज करने के लिए बुक किया गया है।

g) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पूंजीखातेगत लेनदेनों को हेज करने के लिए निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं, जिनमें से एक मुद्रा रुपया है, को रद्द करने तथा फिर से बुक करने की सुविधा नहीं मिलेगी। ये वायदा संविदाएं अगर एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ रद्द की जाती हैं तो उन्हें निम्नलिखित शर्तों के तहत अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ बुक किया जा सकता है:

   i) मूल संविदा की बुकिंग जिस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ हुई हो उसके साथ बैंकिंग संबंध समाप्त होने पर, प्रतियोगी दर पर दी गयी सुविधा के लिए, इसे बदला (स्विच किया) जा सकता है;

ii) संविदा की परिपक्वता की तारीख पर संविदा को रद्द करने तथा पुन: बुकिंग करने का काम साथ-साथ किया जाए; और

iii) यह सुनिश्चित करने का दायित्व कि मूल संविदा रद्द हो गई है संविदा की पुन: बुकिंग करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की होगी।

h) संविदा बुक करने की सुविधा तब तक न दी जाए जब तक कि परिशिष्ट "बी" में यथा विनिर्दिष्ट एक्स्पोजर की सूचना कारपोरेट द्वारा न दे दी जाए।

i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा प्रतिस्थापन के आवश्यक होने की परिस्थिति से संतुष्ट होने पर ही ट्रेड संबंधी लेनदेनों की हेजिंग की संवि‌दा को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अंतर्निहित प्रतिस्थापित लिखत की राशि एवं अवधि का सत्यापन करें।

ii) <u>रुपए से भिन्न क्रास करेंसी आप्शंस (Cross Currency Options (not involving rupee))</u>

<u>सहभागी</u>

मार्केट-मेकर्स-भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

<u>प्रयोजन</u>

a) ट्रेड लेनदेनों से उत्पन्न विनिमय दर जोखिमों को हेज करना।

b) विदेशी मुद्रा में टेंडर बिड प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर को हेज करना।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

a) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल प्लेन वनीला आप्शंस[2] का प्रस्ताव(आफर) कर सकते हैं।

b) ग्राहक *काल* या *पुट* आप्शंस की खरीद कर सकते हैं।

---

[2] यूरोपीय आप्शंस, आप्शंस की समाप्ति (अर्थात एक पूर्व निर्दिष्ट समय पर) की तारीख पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं।

c) अंतर्निहित लिखतों के सत्यापन के तहत इन लेनदेनों को मुक्त रूप में बुक और /या रद्द किया जा सकता है।

d) क्रास करेंसी वायदा सविदाओं के संबंध में लागू सभी दिशानिर्देश क्रास करेंसी आप्शंस संविदाओं पर भी लागू हैं।

e) क्रास करेंसी आप्शंस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा पूर्णत: कवर किए गए बैक-टू-बैक आधार पर लिखे जाने चाहिए। कवर ट्रांजैक्शन भारत से बाहर स्थित बैंक, विशेष आर्थिक जोन में स्थापित अपतटीय (आफशोर) बैंकिंग यूनिट या अंतर्राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त आप्शंस एक्स्चेंज या भारत स्थित किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ किए जा सकते हैं। आप्शंस लिखने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, अमर भवन, 5वीं मंज़िल, मुंबई-400001 से यह कारोबार करने से पूर्व एक बार अनुमोदन लें।

iii) **विदेशी मुद्रा- भारतीय रुपया आप्शंस(आईएनआर आप्शंस)**

सहभागी

मार्केट-मेकर्स- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-भारत में निवास करने वाले व्यक्ति

प्रयोजन

a)3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 25/2000- आरबी, समय-समय पर यथासंशोधित, की अनुसूची I के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र को हेज करना।

b) विदेशी मुद्रा में टेंडर बिड प्रस्तुत करने से उत्पन्न आकस्मिक विदेशी मुद्रा एक्स्पोज़र को हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

a)न्यूनतम 9% का जोखिम भारित पूंजी अनुपात(CRAR) रखने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बैक-टू-बैक आधार पर विदेशी मुद्रा आईएनआर आप्शंस का प्रस्ताव(आफर) दे सकते हैं।

b) वर्तमान में/संप्रति प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्लेन वनीला यूरोपीय आप्शंस का प्रस्ताव दे सकते हैं।

c)ग्राहक *काल* या *पुट* आप्शंस की खरीद कर सकते हैं।

d) विदेशी मुद्रा- आईएनआर विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के संबंध में लागू सभी दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा- आईएनआर आप्शंस संविदाओं पर भी लागू हैं।

e)पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम की निगरानी/प्रबंधन प्रणाली, मार्क-टू-मार्केट मेकेनिज्म, आदि से सुसज्जित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से विदेशी मुद्रा आईएनआर आप्शंस बुक करने का कारोबार कर सकते हैं। निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस का कारोबार करने के इच्छुक हों, वे सक्षम प्राधिकारी

(बोर्ड)/जोखिम प्रबंधन समिति/आल्को) से प्राप्त अनुमोदन, इस संबंध में विस्तृत मेमोरेंडम, बोर्ड के विशेष अनुमोदन जिसमें लिखे जाने वाले आप्शंस के प्रकार और सीमा का उल्लेख हो, की प्रतिलिपि के साथ विशिष्ट मंजूरी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करें। बोर्ड को प्रस्तुत मेमोरेंडम में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस संबंध में संभावित जोखिम का स्पष्ट रूप से जिक्र भी हो।

पात्रता संबंधी न्यूनतम मानदण्ड

i) निवल मालियत रु. 300 करोड़ से कम न हो;

ii) CRAR का अनुपात 10% से कम न हो;

iii) निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ निवल अग्रिमों के 3% से अधिक न हों;

iv) न्यूनतम विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित हो रहा हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तुत आवेदनपत्रों पर विचार करेगा तथा स्वविवेकानुसार एकमुश्त मंजूरी देगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन सीमा में ही अपने आप्शंस पोर्टफोलियो को प्रबंधित करें।

f) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आप्शंस प्रीमियम को आधार रुपए में या रुपए/सांकेतिक विदेशी मुद्रा के प्रतिशत के रूप में दें।

g) आप्शंस की परिपक्वता पर उनका भुगतान/निपटान संविदा में किए गए उल्लेखानुसार या तो स्पॉट पर सुपुर्दगी द्वारा या स्पॉट आधार पर निवल नकद भुगतान किए जाएं। यदि परिपक्वता से पूर्व सौदे (लेनदेन) को समाप्त (unwind) किया जाए तो समरूपी आप्शंस को बाजार मूल्य पर घटाकर नकद भुगतान/निपटान किया जाए।

h) मार्केट मेकर्स को इस बात की अनुमति है कि वे स्पॉट और वायदा बाजार में पहुंचकर अपने आप्शंस पोर्टफोलियो के "डेल्टा" को हेज कर सकें। अन्य एक्स्पोज़रों (other Greeks) को अंतर- बैंक मार्केट में आप्शंस लेनेदेन के मार्फत हेज किया जा सकता है।

i) आप्शंस संविदा का "डेल्टा" रात्रिभर खुली स्थिति का हिस्सा होगा।

j) प्रत्येक परिपक्वता के अंत में "डेल्टा" के बराबर राशि को AGL के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाएगा। विभिन्न परिपक्वता बकेट्स के अंतर्गत ग्रुपिंग के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बकाया आप्शन की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि को आधार के रूप में लिया जाएगा।

k) आप्शन बुक चला रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को इस बात की अनुमति है कि विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस बाजार में मार्केट मेकिंग से उत्पन्न जोखिमों को कवर करने के लिए वे प्लेन वनीला क्रास करेंसी आप्शन पोजीशन प्रारंभ कर सकें।

l) बैंक पोर्टफोलियो को दैनिक आधार पर मार्क-टू-मार्केट करने के लिए आवश्यक प्रणाली लागू करें। फेडाई (FEDAI) पूल्ड इम्प्लाइड वोलाटाइलिटी इस्टीमेट की दैनिक मैट्रिक्स फेडाई प्रकाशित करेगी जिसे मार्केट में भाग लेने वाले/के भागीदार अपने पोर्टफलियो को मार्क-टू-मार्केट प्रयोजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

m) आप्शंस संविदाओं के लिए लेखा-फ्रेमवर्क फेडाई के 29 मई 2003 के परिपत्र सं. SPL.24/FC-Rupee Options/2003 के अनुसार होगा।

iv) <u>विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप</u>

<u>सहभागी</u>

माकेट-मेकर्स- भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-

i. विदेशी मुद्रा देयता वाले निवासी जो विदेशी मुद्रा-आईएनआर स्वाप का आश्रय विदेशी मुद्रा देयता से हटकर रुपया देयता में आने के लिए करते हैं।

ii. निगमित निवासी कंपनी/संस्थाएं जिनके पास रुपया देयताएं हैं और वे रुपया देयता से विदेशी मुद्रा देयता में जाने के लिए आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप का आश्रय लेते हैं, बशर्ते वे जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्राकृतिक हेजिंग या आर्थिक एक्स्पोजर जैसी कतिपय न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हों। प्राकृतिक हेजिंग या आर्थिक एक्स्पोजर के अभाव में आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप(रुपया देयता से विदेशी मुद्रा देयता में संचरण हो) की सुविधा सूचीबद्ध कंपनियों या (200 करोड़ रुपये की निवल मालियत तक की) गैर सूचीबद्ध कंपनियों तक सीमित होगी। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से

अपेक्षित है कि वे स्वाप की उपयुक्तता तथा औचित्य की जांच तथा कंपनी(कारपोरेट) की वित्तीय सुदृढ़ता से संतुष्ट हो लें।

प्रयोजन

जिनके पास दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार हैं या जो दीर्घावधि आईएनआर उधार को विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करना चाहते हैं उनके लिए विनिमय दर और /या ब्याज दर जोखिम संबंधी एक्स्पोजर को हेज करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

a)पहले रुपए में या उसके समतुल्य भुगतान करने के लेनदेन वाले स्वाप नहीं किए जाएंगे।

b) "दीर्घावधि एक्स्पोजर" का अर्थ एक वर्ष या अधिक अवधि की अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी एक्स्पोजर से है।

c)कारपोरेट काउंटर पार्टियों की अपेक्षाओं को मैच करके मध्यस्थ के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा स्वाप लेनदेन किए जाएं। ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों के हेज करने को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा किए जाने वाले स्वाप सौदों/लेनदेनों पर कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि स्वाप के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में निवल आपूर्ति की उच्चतम सीमा 100 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित की गई है, इससे ग्राहकों को विदेशी मुद्रा देयता स्वीकारने में सुविधा होती है। ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा -आईएनआर स्वाप के रद्द करने से उत्पन्न स्थिति को इस सीमा में शामिल करने की जरूरत नहीं है।

d) विदेशी मुद्रा देयता स्वीकारने में ग्राहकों को सुविधा रहे, इसे सुगम बनाने के लिए स्वाप लेनदेनों के लिए ऊपर विनिर्दिष्ट सीमा के संदर्भ में स्वाप सौदे के रद्द होने /परिपक्व होने और ऋण परिशोधित होने पर ऋण की परिशोधित राशि तक तद्विषयक सीमा को पुन: उपलब्ध सीमा तक प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

e) स्वाप लेनदेन जो एक बार रद्द किए जाएंगे उन्हें किसी भी तरीके या नाम से न तो फिर से बुक किया जाएगा न ही उनका पुन: सौदा किया जाएगा।

f) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विशेष सुविधायुक्त स्वाप ढांचे(leveraged swap structure) का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। खासतौर से, लेवेरेज्ड स्वाप स्ट्रक्चर में यूनिटी से इतर बहुआयामी तत्व बेंचमार्क दर (दरों) से संबंध रखते हैं जो ऐसी स्थिति के अभाव में प्राप्य या देय राशि में बदलाव लाते हैं।

g) स्वाप की अनुमानित (notional) मूल राशि अंतर्निहित ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

h) स्वाप की परिपक्वता अंतर्निहित ऋण की शेष परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v) **लागत को कम करने के ढांचे(cost reduction structures)** अर्थात क्रास करेंसी आप्शंस लागत घटाने के ढांचे और विदेशी मुद्रा- आईएनआर आप्शंस लागत घटाने के ढांचे (व्यवस्था)।

<u>सहभागी</u>

मार्केट-मेकर्स- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता(यूजर)-सूचीबद्ध कंपनियाँ या न्यूनतम रु. 100 करोड़ की निवल मालियत वाली गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ (सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक या संबद्ध कंपनियाँ जो लेखाकंन मानक 30/32 का पालन/अनुसरण करती हैं, जिनके कोष साझे के हैं तथा मूल कंपनी के खातों के साथ जिनके खातों का समेकन किया जाता है, ऐसी कंपनियों को न्यूनतम निवल मालियत मानदण्डों से छूट है) जो निम्नलिखित बातों का अनुपालन करती हैं:

- लेखांकन मानक 30 और 32 को अपनाए हैं। ऐसी कंपनियाँ जो लेखांकन मानक 30 और 32 का पूर्णत: अनुपालन नहीं करती हैं, वे लेखांकन मानक 30/32 में परिकल्पित लेखांकन सुधार तथा डिरिवेटिव संविदाओं के संबंध में मानक प्रकटीकरण का अनुसरण करें।
- जिनके पास जोखिम प्रबंधन नीति है तथा उसमें इस आशय की विशिष्टि शर्त/प्रावधान हो जो लागत घटाने संबंधी ढांचे के प्रकार/प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देते हों।

<u>प्रयोजन</u>

ट्रेड लेनदेनों तथा वाह्य वाणिज्यिक उधार से उत्पन्न विनिमय दर संबंधी जोखिमों को हेज करना।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

a) यूजरों द्वारा, अकेले /एकल आधार पर, आप्शंस लिखने की अनुमति नहीं है।

b) यूजर यूरोपीय प्लेन वनीला आप्शंस की एक साथ बिक्री तथा खरीद कर आप्शंस रणनीति में भाग ले सकते हैं/उतर सकते हैं, बशर्ते प्रीमियम की निवल प्राप्ति न हो।

c) लेवरेज्ड स्ट्रक्चर्स, डिजिटल आप्शंस, बैरियर आप्शंस, उपचित होने की रेंज और कई अन्य विदेशागत/जटिल (exotic) उत्पाद अनुमत नहीं हैं।

d) दीर्घतर परिकल्पित स्ट्रक्चर का अंश, जो स्ट्रक्चर की अवधि के ऊपर परिगणित हुआ हो, को अंतर्निहित प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।

e) शर्तों संबंधी दस्तावेज में आप्शंस की डेल्टा संबंधी बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

f) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को विदेशी मुद्रा परिचालनों (कारोबार) के आकार तथा यूजर की जोखिम प्रोफाइल के मद्देनज़र लगातार लाभप्रदता, उच्चतर मालियत, पण्यावर्त (टर्न ओवर), आदि के संबंध में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए।

g) हेज की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित लेनदेन की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसी शर्त के अधीन यूजर हेज की अवधि का चयन करें। यदि ट्रेड लेनेदेन अंतर्निहित हों तो स्ट्रक्चर की अवधि दो साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

h) मार्क-टू- मार्केट स्थिति की सूचना आवधिक आधार पर यूजर को दी जानी चाहिए।

vi) **विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार की हेजिंग** जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार हैं।

उत्पाद- ब्याज दर स्वाप, क्रास करेंसी स्वाप, कूपन स्वाप, क्रास करेंसी आप्शन, ब्याज दर कैप या कॉलर(क्रय), वायदा दर अग्रिम(FRA)

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-

a) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

b) भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत भारतीय बैंक की विदेश स्थित शाखा

c) भारत में विशेष आर्थिक जोन स्थित अपतटीय बैंकिंग यूनिट(Offshore banking unit in SEZ in India)

उपयोगकर्ता(यूजर)

भारत में निवास करने वाले व्यक्ति जिन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अनुसार उधार लिया है।

प्रयोजन

ऋणों/एक्स्पोजरों पर ब्याज दर जोखिमों तथा मुद्रा संबंधी जोखिमों एवं किए गए ऐसे हेज के निपटान के लिए हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

a)जैसाकि उल्लेख किया गया है इन उत्पादों में किसी भी परिस्थिति में रुपया शामिल नहीं होना चाहिए।

b) विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए अंतिम अनुमोदन/मंजूरी या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) होना चाहिए।

c)उत्पाद की कल्पित (notional) मूल राशि विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की बकाया राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

d) उत्पाद की परिपक्वता अवधि अंतर्निहित ऋण की शेष रही परिपक्वता/अदायगी किए जाने की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

e)संविदाएं मुक्त रूप में रद्द एवं फिर से बुक की जा सकती हैं।

2. विगत निष्पादन के आधार पर संभावित जोखिम

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता (यूजर)-माल तथा सेवाओं के आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता।

प्रयोजन- विगत तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के दौरान वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) , में से जो भी उच्चतर हो, के औसत के आधार पर एक्स्पोजर के संबंध में की गई घोषणा के

आधार पर मुद्रा जोखिम को हेज करना। पण्य माल/सौदे के साथ ही साथ सेवाओं के ट्रेड के संबंध में विगत निष्पादन के आधार पर संभावित एक्स्पोजर को हेज किया जा सकता है।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, क्रास करेंसी आप्शंस (जिसमें रुपया शामिल न हो), विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस और लागत घटाने वाले स्ट्रक्चर्स (जैसाकि खंड "बी" के पैरा I 1(v) में उल्लेख है)।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

a)रु. 200 करोड़ की न्यूनतम निवल मालियत तथा रु. 1000 करोड़ से अधिक के वार्षिक निर्यात और आयात वाले कारपोरेट जो खंड "बी" के पैरा I 1(v) में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें पूरी करते हैं को लागत घटाने वाले स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।

b) वर्तमान वित्तीय वर्ष(अप्रैल - मार्च) में बुक की गई संविदाएं और किसी भी समय शेष रही संविदाएं पात्रता सीमा अर्थात विगत तीन वर्षों के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) या विगत वर्ष के वास्तविक आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) , में से जो भी उच्चतर हो, के औसत से अधिक नहीं होंगी।

c)पात्र सीमा के 75% से अधिक बुक की गई संविदाएं सुपुर्दगी के आधार पर होंगी तथा उन्हें रद्द नहीं किया जा सकेगा।

d) ये सीमाएं निर्यात तथा आयात लेनदेनों के लिए अलग-अलग गिनी/परिगणित की जाएंगी।

e)विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन करने पर मामले दर मामले के आधार पर सीमा बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। यह अतिरिक्त सीमा, यदि मंजूर की जाएगी तो वह सुपुर्दगी के आधार पर होगी।

f) बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए बुक की गई संविदा, यदि कोई होगी, तो वह इसमें से घटा दी जाएगी। ये संविदाएं एक बार रद्द होने पर फिर से बुक होने की पात्र नहीं होंगी। इस संबध में रोल ओवर की भी अनुमति नहीं है।

g) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों/मुवक्किलों द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने से संतुष्ट होने पर उन्हें विगत कार्यनिष्पादन के आधार पर प्राप्त की जाने वाली सुविधा की अनुमति दे सकते हैं:

i. ग्राहक से इस आशय का एक वचनपत्र प्राप्त किया जाए कि बुक की गई सभी संविदाओं की परिपक्वता से पूर्व वह एतद्विषयक पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा।

ii. आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई राशि के संबंध में अपने सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित परिशिष्ट M के अनुसार प्रति तिमाही एक घोषणा पत्र प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को प्रस्तुत करेंगे।

iii. निर्यातकर्ता ग्राहक/मुवक्किल को इस सुविधा के अंतर्गत पात्र होने के लिए उसके सकल ओवरड्यू बिल उसके पण्यावर्त (टर्नओवर) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

iv. अपने ग्राहकों के निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनकी वास्तविक अपेक्षाओं/जरूरतों से संतुष्ट होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ग्राहक की पात्रता सीमा के 50% के अलावा सकल बकाया संविदाओं के लिए अनुमति दे सकते हैं।

- ग्राहक के सांविधिक लेखापरीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि इस सुविधा का उपयोग करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
- ग्राहक के विगत तीन वर्षों के आयात/निर्यात पण्यावर्त(टर्नओवर) को विधिवत प्रमाणित करने वाले ग्राहक के सांविधिक लेखापरीक्षक का परिशिष्ट K में दिया गया प्रमाणपत्र।

h) विगत निष्पादन सीमा का एक बार उपयोग करने के पश्चात संविदा के रद्द किए जाने या की परिपक्वता पर उसे पुन: प्रतिस्थापित/नवींकृत नहीं किया जाएगा।

i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक के विगत निष्पादन का आकलन/गणना करें। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विगत वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों को निकालने में कुछ समय लग सकता है। तथापि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से

3 माह में विवरण प्राप्त नहीं होते हैं तो यह सुविधा तब तक न दी जाए जब तक कि लेखापरीक्षित आंकड़े/विवरण न प्राप्त हो जाएं।

j) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे विगत निष्पादन पर आधारित सीमा संबंधी सौदा(डील) होने से पूर्व उसके वैधीकरण/जारी रखने की उचित प्रणाली स्थापित करें। ग्राहक के घोषणापत्र के अलावा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को अपने ग्राहकों के साथ हुए विगत लेनदेनों एवं उनके पण्यावर्त का मूल्यांकन करना चाहिए।

k) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस सुविधा के तहत अपने ग्राहकों (मुवक्किलों) को मंजूर की गई सीमाओं की मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को) परिशिष्ट J के विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में प्रस्तुत करें।

3) **विशेष छूट**

i) लघु और मध्यम उद्यम

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता (यूजर)-लधु और मध्यम उद्यमी[3]

प्रयोजन

लघु और मध्यम उद्यमियों के विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रत्यक्ष और /या अप्रत्यक्ष एक्स्पोजरों को हेज करना

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश- विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रत्यक्ष और /या अप्रत्यक्ष एक्स्पोजरों वाले लघु और मध्यम उद्यमियों को अंतर्निहित दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना वायदा संविदाएं बुक करने/रद्द करने/फिर से बुक करने/ रोलओवर करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाती है:

---

[3] लघु और मध्यम उद्यमी की परिभाषा यथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के 4 अप्रैल 2007 के परि. सं. ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.सं. 63/06.02.31/2006-07 में दी गई है।

a)ऐसी संविदाएं लघु और मध्यम उद्यमियों द्वारा उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ बुक करनी चाहिए जिनसे उन्हें ऋण सुविधा मिली हो और कुल बुक की गई वायदा संविदाएं विदेशी मुद्रा अपेक्षाओं या कार्यशीलपूंजी अपेक्षाओं या पूंजी व्यय के लिए ली गई ऋण सुविधा के अनुरूप होनी चाहिए।

b) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे लघु और मध्यम उद्यमी ग्राहकों की वायदा संविदाओं के बारे में "उपयोगकर्ता के उचित होने" तथा "उपयुक्तता"से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करें जैसाकि 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं.बैंपविवि. बीपी. बीसी. नं. 86/21.04.157/2006-07 द्वारा जारी "डेरेवेटिव्स के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश" के पैरा 8.3 में सूचित किया गया है।

c)इस सुविधा का लाभ उठाने वाले लघु और मध्यम उद्यमियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से, यदि कोई वायदा संविदा पहले से बुक की गई हो, के बारे में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) निवासी व्यक्ति

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

उपयोगकर्ता (यूजर)-निवासी व्यक्ति

प्रयोजन

निवासी व्यक्ति वास्तविक या प्रत्याशित प्रेषणों, आवक तथा जावक दोनों, से उत्पन्न अपने विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज करने के लिए स्वयं के घोषणापत्र के आधार पर बिना अंतर्निहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए 1,00,000 अमरीकी डालर की सीमा तक वायदा संविदाएं बुक कर सकते हैं।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

a) इस सुविधा के अंतर्गत बुक की गई संविदाएं सामान्यत: सुपुर्दगी के आधार पर होंगी। तथापि, नकदी प्रवाह में किसी अंतर (मिसमैच) या अन्य आकस्मिकता, के कारण इस सुविधा के तहत बुक की गई संविदा को रद्द करने या फिर से बुक करने की अनुमति दी जा सकती है। बकाया संविदाओं का कल्पित (नोशनल) मूल्य किसी भी समय 1,00,000 अमरीकी डालर की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

b) केवल एक वर्ष तक की अवधि वाली संविदाएं बुक करने की अनुमति दी जाए।

c) परिशिष्ट "जी" में दिए गए फार्मट में निवासी व्यक्ति के आवेदनपत्र सह घोषणापत्र के प्रस्तुत करने पर ऐसी संविदाएं उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत बुक की जाएं जिसके साथ निवासी व्यक्ति के बैंकिंग संबंध हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस बात से संतुष्ट हो लें कि निवासी व्यक्ति वायदा संविदाएं बुक करने में अंतर्निहत जोखिम के स्वरूप से परिचित हैं और ऐसे ग्राहक की वायदा संविदाओं के संबंध में "उपयोगकर्ता के उचित होने" तथा "उपयुक्तता"से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करें।

बी II. भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई विदेशी मुद्रा डेरेवेटिव संवदिाओं के संबंध में सामान्य अनुदेश

जबकि उल्लिखित दिशानिर्देश विशिष्ट विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव पर लागू हैं, वहीं कतिपय सामान्य सिद्धांत तथा सुरक्षा उपाय सभी ओवर दि काउंटर विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव पर विवेकपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए विचारार्थ आगे दिए जा रहे हैं। विशेष विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों के अंतर्गत दिए गए दिशानिर्देशों के अलावा उपयोगकर्ताओं (यूजरों) (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से भिन्न भारत में निवासी व्यक्तियों) और मार्केट मेकरों (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक) द्वारा सामान्य अनुदेशों का अत्यंत सावधनी पूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

a) सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा डिरिवेटिव लेनेदेनों (आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप अर्थात खंड "बी" के पैरा I 1(iv) में यथा वर्णित आईएनआर देयता से विदेशी मुद्रा देयता में संचरण को छोड़कर) के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने ग्राहक से इस आशय का एक घोषणापत्र अवश्य लें कि एक्स्पोजर बिना हेज किये हुए हैं और उन्हें किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के साथ हेज नहीं किया गया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को

कारपोरेट इस आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि डिरिवेटिव लेनदेन अधिकृत हैं और बोर्ड (या पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्मों के मामले में समकक्ष फोरम) इस कार्रवाई से अवगत हैं।

b) **संविदा एक्स्पोजर के मामले में,** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें:

i) ग्राहक से इस आशय का वचनपत्र कि अंतर्निहित एक्स्पोजर किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत कवर नहीं किए गए हैं। जहाँ उसी एक्स्पोजर की हेजिंग पार्ट्स में एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के मार्फत की गई हो, वहाँ अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ पहले से बुक की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख घोषणापत्र में होना चाहिए। इस वचन-पत्र को सौदे की पुष्टि के भाग के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है।

ii) यूजर के सांविधिक लेखापारीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही के लिए प्राप्त किया जाए कि तिमाही के दौरान किसी भी समय सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास बकाया संविदाएं अंतर्निहित एक्स्पोजर के मूल्य से अधिक नहीं थीं।

c) व्युत्पन्न (डेराइव्ड) विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरों को हेज करने की अनुमति नहीं है। तथापि, आईएनआर-विदेशी मुद्रा स्वाप के मामले में प्रारंभ में यूजर मुद्रा जोखिम(करेंसी रिस्क) को सीमित करने के लिए एकमुश्त प्लेन वनीला क्रास करेंसी आप्शंन(जिसमें रुपया शामिल नहीं है) का सौदा कर सकते हैं।

d) किसी भी डिरिवेटिव संविदा के मामले में कल्पित (नोशनल) राशि किसी भी समय वास्तवकि अंतर्निहित एक्स्पोजर से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार डिरिवेटिव संविदा की अवधि अंतर्निहित एक्स्पोजर की अवधि से अधिक नहीं होगी। संपूर्ण लेनदेनों की कल्पित राशि उसकी पूरी अवधि के लिए गिनी जाएगी और हेज किए जाने वाले अंतर्निहित एक्स्पोजर की राशि डेरिवेटिव संविदा की कल्पित राशि के समरूप अवश्य होनी चाहिए।

e) किसी विशिष्ट अवधि के लिए एक्स्पोजर विशेष/उसके भाग के लिए केवल एक हेज लेनदेन बुक किया जा सकता है।

f) डिरिवेटिव लेनदेन (वायदा संविदाओं के अलावा) के अवधि पत्रक (टर्म शीट) में निम्नलिखित का स्पष्टत: उल्लेख होना चाहिए:

i) लेनदेन के प्रयोजन का ब्योरा दिया जाए जिसमें यह उल्लेख हो कि उत्पाद एवं उसके घटक(कंपोनेंट) ग्राहक (मुवक्किल) को हेजिंग में किस प्रकार मदद करते हैं;

ii) लेनदेन(ट्रांजैक्शन) को निष्पादित करते समय प्रचलित स्पाट दर; तथा

iii) विभिन्न स्थितियों में अधिकतम कितनी हानि हो सकती है/घाटा कहाँ तक जा सकता है।

g) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक केवल उन्हीं उत्पादों का प्रस्ताव करें जिनकी कीमत वे स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हों। यह बैक-टू- बैक आधार पर किए जाने वाले उत्पाद प्रस्तावों पर भी लागू है। सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों की कीमत/मूल्य हर समय स्थानीय स्तर पर दिखाने योग्य हों।

h) मार्केट मेकरों को डेरिवेटिव उत्पादों (वायदा संविदाओं से भिन्न) के प्रस्ताव यूजरों को करने से पूर्व 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपरिविवि. सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में दिए गए ब्योरे के अनुसार इन उत्पादों के "उपयोगकर्ता के लिए उचित होने" तथा "उपयोगकर्ता के लिए उनकी उपयुक्तता"से संबंधित समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यूजरों के साथ उत्पाद के संबंध में संभावित ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी पक्षों को शामिल करते हुए विभिन्न हालातों तथा उत्पाद पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न बाजार पैरामीटरों की पहचान संबंधी जानकारी से उन्हें अवगत कराएं।

j) 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बैंपरिविवि. सं. बीपी.बीसी. 86/21.04.157/2006-07 में डेरिवेटिव के संबंध में जारी व्यापक दिशानिर्देर्शों में दिए गए सभी दिशानिर्देश और समय समय पर उसमें किए संशोधनों के साथ विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव पर भी लागू होंगे।

k) बैंकों के बीच डेरिवेटिव के संबंध में सूचना की भागीदारी/आपसी जानकारी बांटना अनिवार्य है जैसाकि 19 सितंबर 2008 के परिपत्र सं. बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.

46/08.12.001/2008-09 तथा 8 दिसंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 94/08.12.001/2008-09 में ब्योरा दिया गया है।

खंड -"सी"

भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को केवल पूंजी खातेगत लेनदेनों से संबंधित अंतर्निहित एक्स्पोजरों, जो सत्यापन के अधीन है, को हेज करने की अनुमति दी जाती है। निवासियों तथा अनिवासियों के साथ पण्य माल के साथ-साथ सेवाओं के ट्रेड से उत्पन्न लेनदेनों को हेज करने की अनुमति नहीं है।

सहभागी

मार्केट-मेकर्स-विदेशी संस्थागत निवेशकों के मामले में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की पदनामित शाखाएं जो विदेशी संस्थागत निवेशकों के खातों को रखती है। अन्य सभी मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक।

उपयोगकर्ता (यूजर)-विदेशी संस्थागत निवेशक(FII), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले निवेशक(FDI) और अनिवासी भारतीय (NRI)।

प्रत्येक यूजर के लिए प्रयोजन, उत्पाद तथा परिचालनात्मक दिशानिर्देश नीचे दिए जा रहे हैं:

i) विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के संबंध में

प्रयोजन

भारत में ईक्विटी और/या ऋणों में हुए संपूर्ण निवेश के किसी तारीख विशेष को बाजार मूल्य के संबंध में मुद्रा जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

a)विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) द्वारा विनिर्धारित कवर के लिए की गई घोषणा के आधार पर उसकी पात्रता निश्चित होगी।

b) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक बकाया वायदा कवर के लिए अंतर्निहित एक्स्पोजर के होने को सुनिश्चित करने के लिए बाजार कीमत संचलन (मूवमेंट), नई आवक(नए निवेश), प्रत्यावर्तित राशि तथा अन्य संबंधित पैरामीटरों के आधार पर इसकी आवधिक, कम से कम तिमाही अंतराल पर, अवश्य समीक्षा करें।

c)पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य में प्रतिभूतियों की बिक्री से इतर किन्हीं अन्य कारणों से यदि अंशत: या पूरी तरह संकुचन होने से कोई हेज खुल (नेकेड हो) जाए तो यदि इस संबंध में इच्छा व्यक्त की जाए तो हेज को मूल संविदा की परिपक्वता की तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी जाए।

d) यदि एक बार संविदा रद्द हो जाती है तो उसे, *वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पोर्टफलियो के बाजार मूल्य के 2% से अनधिक के अलावा,* फिर से बुक नहीं किया जा सकता है। तथापि, वायदा संविदाओं को परिपक्वता पर या उससे पूर्व रोलओवर किया जा सकता है।

e)हेज की लागत प्रत्यावर्तनीय निधियों और/ या आवक प्रेषणों से सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत पूरा किया जा सकता है।

f) हेज के संबंध में आकस्मिक सभी जावक प्रेषण लागू करों को घटाकर होंगे।

ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में

प्रयोजन

i) 1 जनवरी 1993 से भारत में किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर विनिमय जोखिम को हेज करने के लिए बशर्ते भारत में एक्स्पोजर सत्यापन की शर्त को पूरा करता हो।

ii) भारतीय कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभांश की विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

iii) भारत में प्रस्तावित निवेश के संबंध में विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

उत्पाद

वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस।

<u>परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें</u>

a) भारत में किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए की गई संविदाओं के एक बार रद्द होने पर वे फिर से बुक होने की पात्र नहीं हैं। तथापि, संविदाओं को रोलओवर किया जा सकता है।

b) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

i) यह सुनिश्चित करने के बाद कि विदेशी कंपनी/संस्था/व्यक्ति(इंटिटी) ने निवेश करने के संबंध में सभी औपचारिकताएं और (जहाँ कहीं लागू हो वहाँ) आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं, भारतीय कंपनी में प्रस्तावित निवेश से उत्पन्न होने वाले विनिमय दर जोखिम को हेज करने वाली संविदाओं पर लागू होंगी ।

ii) संविदा की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी और उसके बाद संविदा को जारी रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।

iii) ये संविदाएं, यदि रद्द होती हैं, तो आने वाले उसी निवेश के लिए फिर से बुक करने की पात्र नहीं होंगी।

iv) संविदा के रद्द होने पर यदि कोई लाभ होगा तो उसे विदेशी निवेशकर्ता को नहीं दिया जाएगा।

iii) अनिवासी भारतीयों के संबंध में

प्रयोजन

a) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 या के उपबंधों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अनुसार पोर्टफोलियो योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के बाजार मूल्य पर विनिमय दर जोखिम को हेज करने के लिए।

b) भारतीय कंपनियों के लिए गए शेयरों पर प्राप्य लाभांश राशि पर विनिमय दर जोखिम को हेज करना।

c) विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) (बैंक)जमा खातेगत जमाशेष पर विनिमय दर जोखिम को हेज करना।

d) अनिवासी वाह्य (NRE) खातेगत जमाशेष पर विनिमय दर जोखिम को हेज करना।

उत्पाद

a) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनमें से एक मुद्रा रुपया है और विदेशी मुद्रा-आईएनआर आप्शंस।

b) इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) (बैंक)जमा खाते में जमाशेष- विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) (बैंक)जमा खातेगत जमाशेष को जिस एक विदेशी मुद्रा से अन्य विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति है उसके लिए क्रास करेंसी (जिसमें रुपया शामिल न हो) वायदा संविदाएं।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, शर्तें

विदेशी निवेशक संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट परिचालनात्मक दिशानिर्देश, रद्द की गई संविदाओं की फिर से बुकिंग करने के उपबंध/ शर्त को छोड़कर, लागू होगी। विदेशी निवेशक संस्था से इतर भारत से बाहर के किसी निवासी के लिए अनुमत सभी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं यदि एक बार रद्द की जाती हैं तो फिर से वे बुक होनें की पात्र नहीं होंगी।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए सुविधाएं

i) परिसंपत्तियों तथा देयताओं का प्रबंधन

उपयोगकर्ता (Users)-प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ,

प्रयोजन- ब्याज दर तथा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति-देयता संविभाग के मुद्रा जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद- ब्याज दर स्वाप, ब्याज दर कैप/कॉलर,करेंसी स्वाप, और वायदा दर करार। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी क्रास करेंसी स्वामित्व की व्यापारिक स्थिति की हेजिंग के लिए कॉल अथवा पुट आप्शन की खरीद कर सकते हैं।ज

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश, शर्तें

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो सकेगा;

(ए) इस संबंध में उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित हो।

(बी) हेज का मूल्य और उसकी परिपक्वता अंतर्निहित प्रतिभूतियों से अधिक न हो।

(सी) कोई एकल आधार पर लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है। यदि हेज पोर्टफोलियो के आंशिक या पूर्ण रूप से संकुचन के कारण असुरक्षित (naked) हो जाता है, तो हेज मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और उसे नियमित अंतराल पर बाज़ार के अनुसार मूल्यांकित किया जाए ।

(डी) इन लेनदेनों से होने वाली निवल आय को आय और व्यय के रूप में बुक किया जाता है तथा जहां कहीं लागू हो विदेशी विनिमय के रूप में गणना की जाती है।

ii) स्वर्ण कीमतों संबंधी जोखिम की हेजिंग

उपयोगकर्ता (Users)-

i.स्वर्ण जमा योजना के परिचालन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक

ii. बैंक, जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वाराज्जारी दिशा-निर्देशों की शर्तों

के तहत भारत में वायदा स्वर्ण संविदा करने की अनुमति दी गयी है (अंतर-बैंक स्वर्ण व्यवहारों से उत्पन्न स्थिति सहित)

प्रयोजन- स्वर्ण कीमतों संबंधी जोखिम को हेज़ज्करना

उत्पाद- एक्स्चेंज ट्रेडेड तथा विदेशों में उपलब्ध ओवर द काउंटर हेजिंग उत्पाद

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश, शर्ते

ए) ऑप्शन वाले उत्पाद उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति तो नहीं हो रही है।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को अंतर्निहित बिक्री, खरीद और ऋण के लेनदेन के लिए स्वर्ण में अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णाभूषण निर्माताओं, व्यापार गृहों, आदि) के साथ वायदा संविदा करने की अनुमति है। इस प्रकार की संविदाओं की मीयाद 6 माह से अधिक नहीं होनी च्चाहिए ।

iii. <u>पूंजी पर मुद्रा जोखिम की हेजिंग</u>

उपयोगकर्ता (Users)- भारत में कार्यरत विदेशी बैंक

उत्पाद- वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश, शर्ते

ए) टियर-I पूँजी-

i) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरआर की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजीगत निधियां उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए हेजिंग से उपचित विदेशी मुद्रा निधियों को नॉस्त्रो खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए किंतु वे हमेशा भारत स्थित बैंकों के साथ स्वाप के तहत हों।

ii) वायदा संविदाएं एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर उन्हें आगे बढ़ाया (रोल-ओवर किया) जा सकता है। रद्द किए गए हेज़ की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।

बी) टियर-II पूँजी-

i) बैंकिग परिचालन और विकास विभाग के 14 फरवरी 2002 के परिपत्र सं.आईबीएस.बीसी.65/ 23.10.015/2001-2002 के अनुसार विदेशी बैंकों को अपनी टियर II पूंजी को गौण ऋण के रूप में प्रधान कार्यालय के उधार के रूप में हर समय भारतीय रुपये में अदला-बदली (स्वाप) करके हेज़ करने की अनुमति है ।

ii) बैंकों को फ्लोटिंग रेट विदेशी मुद्रा देयताओं में इनोवेटिव टियर-I/टियर-II पूंजी के संबंध में नियत दर रुपया देयता के कनवर्जन वाले विदेशी मुद्रा-आइएनआर स्वाप लेनदेन करने की अनुमति नहीं है ।

पण्य (Commodity) हेजिंग

निर्यात और आयात के कारोबार में लगे अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अन्यथा अनुमोदित भारत में निवासी व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों /बाज़ारों में अनुमत वस्तुओं के मूल्य संबंधी जोखिम का बचाव करने की अनुमति है । इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि , यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय- समय पर मार्जिन अपेक्षा के लिए अंतर्निहित एक्सपोज़रों के सत्यापन के तहत विदेशी मुद्रा राशियों का प्रेषण है। ग्राहक द्वारा ओवरसीज काउंटर पार्टियों के साथ किए गये पण्य व्युत्पन्न लेनदेन से उपजे भुगतान दायित्वों के लिए किए गये प्रेषणों के बदले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, परिशिष्ट 'एल' में दी गई शर्तों/ दिशा-निर्देशों के तहत पण्य डेरिवेटिव से संबंधित इन विशिष्ट भुगतान दायित्वों को कवर देने के लिए समर्थनकारी साख-पत्र /की बैंक गारंटी जारी कर सकते हैं । यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड, शब्दज्जहाँ आता है, उसका अर्थ निदेशकों का बोर्ड अथवा साझेदारी अथवा प्रोप्राइटरी फर्म के मामले में समकक्ष फोरम है। यह सुविधा निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जाती है:

।) प्रत्यायोजित मार्ग

ए.पण्यों के वास्तविक आयात/निर्यात पर मूल्य संबंधीज्जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): भारत में पण्यों के आयात और निर्यात के कारोबार में लगी कंपनियाँ ज्जो किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है

फेसिलिटेटर: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: आयातित/निर्यातित पण्य के मूल्यसंबंधी जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल

खरीद)के लिए। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया ज्जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

कतिपय न्यूनतम मानदण्डों का पालन करनेवाले और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, प्लैटिनम को छोड़कर) के संबंध में कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग की अनुमति मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों को दे सकते हैं। दिशा-निर्देश परिशिष्ट -एच (ए तथा बी) में दिये गये हैं।

बी. कच्चे तेल के प्रत्याशित आयात की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कच्चे तेल के परिष्करण संबंधी कार्य करनेवाली घरेलू कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: पूर्व कार्यनिष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के आयात के मूल्य जोखिम की हेजिंग ।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

ए) कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के वास्तविक आयातों की मात्रा के **50** प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा के **50** प्रतिशत तक, इनमें से जो भी अधिक हो, की हेजिंग के लिए अनुमति दी जा सकती हैं ।

बी) इस सुविधा के तहत बुक की गयी संविदाओं को हेज़ अवधि के दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित करना होगा । कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए ।

सी) परिशिष्ट एच के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

सी. घरेलू खरीद और बिक्री पर मूल्य संबंधी ज्जोखिम की हेजिंग

(i)च्चयनित धातु

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कंपनियां जो एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकिल और जिंक की घरेलू उत्पादक हैं /यूजर जो

मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबध्द हैं

फेसिलिटेटर: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकिल और जिंक के मूल्य संबंधी जोखिम के अंतर्निहित आर्थिक एक्सपोज़रों को हेज़ करना ।

उत्पाद: अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

ए) उपर्युक्त पण्यों की पिछले तीन वर्षों (अप्रैल से मार्च) की वास्तविक खरीद/बिक्री के औसत अथवा पिछले वर्ष की वास्तविक खरीद/बिक्री टर्नओवर, में से जो भी उच्चतर हो, की हेजिंग के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

बी) यूजर को उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला बोर्ड का संकल्प प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को प्रस्तुत करना होगा जिसमें समग्र रूपरेखा परिभाषित हो, जिसके तहत डेरिवेटिव गतिविधियाँ की जाएंगी तथा जोखिम नियंत्रित किए जाएंगे ।

सी) परिशिष्ट एच(ए तथा बी)के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

(ii) विमानन टर्बाइन ईंधन(एटीफ)

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): विमानन टर्बाइन ईंधन के वास्तविक घरेलू यूजर

फेसिलिटेटर: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: घरेलू खरीद पर आधारित विमानन टर्बाइन ईंधन के संबंध में आर्थिक जोखिमों की हेजिंग

उत्पाद: अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विमानन टर्बाइन ईंधन की हेजिंग के लिए अनुमति केवल पक्के (firm) आदेशों पर दी जाए।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें ।

सी) यूजर को उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को प्रमाणित करने वाला बोर्ड का संकल्प प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को प्रस्तुत करना होगा जिसमें समग्र रूपरेखा परिभाषित हो, जिसके तहत डेरिवेटिव गतिविधियाँ की जाएंगी तथा जोखिम नियंत्रित किए जाएंगे ।

डी) परिशिष्ट एच (ए तथा बी) के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

(iii) कच्चे तेल की घरेलू खरीद तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): कच्चे तेल की घरेलू परिष्करण कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: कच्चे तेल की घरेलू खरीद तथा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबद्ध होती हैं, संबंधी पण्य कीमतों के बाबत जोखिम की हेजिंग।

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) अंतर्निहित संविदाओं के आधार पर ही हेजिंग की अनुमत दी जाएगी ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक आवश्यक दस्तावेजी सबूत रखें ।

सी) परिशिष्ट "एच" (ए तथा बी)के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

डी. माल सूची पर मूल्य जोखिम की हेजिंग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): तेल विपणन तथा घरेलू परिष्करण कंपनियाँ

फेसिलिटेटर: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन: माल सूची पर मूल्य जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अधिकतम एक वर्ष की वायदा अवधि तक सीमित अवधि के लिए विदेशी ओवर दि काउंटर(ओटीसी)/ एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

ए) पिछली तिमाही की पूर्ववर्ती तिमाही में रही मात्रा पर आधारित माल सूची के 50 प्रति शत तक हेजिंग

अनुमत है ।

बी) परिशिष्ट "एच" (ए तथा बी)के अनुसार सभी अन्य शर्तों तथा दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए ।

।।) अनुमत मार्ग

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों से भिन्न, भारत में निवास करनेवाले जो पण्यों के आयात तथा निर्यात का कारोबार में लगे हैं, अथवा वे ग्राहक जो प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जोखिम संबंधी एक्सपोज़रों से रूबरू हैं।

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक

प्रयोजन: आयातित/निर्यातित पण्य के मूल्य जोखिम तथा संपूर्ण प्रणालीगत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो समुद्रपारीय ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

कंपनियों/फर्मों के आवेदनपत्र, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के जरिये रिज़र्व बैंक को विशिष्ट सिफारिशीपत्र के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किये जाएं। आवेदनपत्र के ब्योरे परिशिष्ट-। में दिये गये हैं ।

।।।) **विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियाँ (एसईज़ेड)**

सहभागी

उपयोगकर्ता (Users): विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियाँ (एसईज़ेड)

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक

प्रयोजन: आयातित/निर्यातित पण्य के मूल्य जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों में स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद)। यदि जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो ओवरसीज़ ओवर दि काउंटर संविदाओं का उपयोग किया जा सकता है ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश:

प्राधिकृत व्यापारी बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्यात / आयात पर उनके पण्य संबंधी मूल्यों की हेजिंग के लिए विदेशी पण्य मंडियों / बाज़ार में हेजिंग लेनदेन की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते ऐसी संविदा एकल आधार पर की जाए(‘एकल आधार ’ शब्द विशेष आर्थिक क्षेत्र की उन इकाइयों से अभिप्रेत है जिनका मुख्य भूभाग अपने मूल अथवा सहयोगी अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र से, जहां तक कि उसके आयात/निर्यात लेनदेनों का संबंध है, किसी प्रकार का वित्तीय संबंध नहीं है।)

टिप्पणी : प्रत्यायोजित मार्ग और अनुमत मार्ग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश क्रमश: परिशिष्ट "एच" और "आई" में दिये गये हैं ।

माल भाड़ा जोखिम

माल भाड़ा जोखिम वाली तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के जरिये अपनेज्जोखिम का बचाव करने की अनुमति है। माल भाड़ा जोखिम वाली अन्य कंपनियाँ अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के जरिये रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर सकती हैं ।

यह ध्यान रहे कि यहाँ प्राथमिक रूप से प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की भूमिका समय- समय पर मार्जिन अपेक्षाओं के लिए अंतर्निहित बचाव के सत्यापन की शर्त पर विदेशी मुद्रा राशियों का प्रेषण करना है । इस सुविधा का उपयोग किसी अन्य डेरिवेटिव उत्पाद के साथ नहीं किया जाना चाहिए ।

।) प्रत्यायोजित मार्ग

सहभागी:

उपयोगकर्ता (Users): तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियां

फेसिलिटेटर: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किये गये प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, अर्थात् जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंड़ी/बाजार में पण्य के मूल्य संबंधी जोखिम का बचाव करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को उसमें दर्शायी गयी शर्तों पर अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं ।

प्रयोजन: माल भाड़ा जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय मंडी/बाजार में प्लेन वैनीला ओटीसी अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड उत्पाद

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

i) अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे की अवधि हेतु होगा ।

ii) विनिमय गृह, ज्जहाँ से उत्पादों की खरीद की जाती है, मेजबान देश में एक विनियमित संस्था होना चाहिए ।

iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित करें कि अपने माल भाड़ा ऋण जोखिम का बचाव करने वाली संस्थाओं में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीति हो जो डेरिवेटिव

लेनदेन और जोखिम उठाये जाने के संबंध में उसकी रूपरेखा को पूर्णत: परिभाषित/निरूपित करती हो। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद ही इस सुविधा का अनुमोदन करें कि विशिष्ट गतिविधि और समुद्रपारीय विनिमय गृहों /बाजारों में व्यवसाय करने के लिए भी कंपनी द्वारा अपने बोर्ड की अनुमति प्राप्त की गयी है। बोर्ड का अनुमोदन जिसमें , लेनदेन करने के लिए सुव्यकत प्राधिकारी /प्राधिकारियों, प्रतिभूतियों की दैनिक बाजार दर मूल्य नीति, ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव (ओटीसी) के लिए अनुमत काउंटर पार्टियों आदि को अनिवार्यत: शामिल किया जाए तथा किए गए लेनदेनों की एक सूची छ:माही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाए।

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक लेनदेन की अनुमति देते समय ही कंपनी के बोर्ड के उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि अनिवार्यत: प्राप्त कर लें जिसमें उल्लिखित ब्योरों को निरूपित करते हुए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को प्रमाणित किया गया हो और जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन किये जाएं, वैसे ही उसकी भी प्रतिलिपि कंपनी से प्राप्त कर ली जाए।

v) यूजर के लिए अंतर्निहित एक्सपोज़र नीचे (ए) और (बी) के अंतर्गत विस्तृत रूप में दिये गये हैं :

(ए)तेल शोधन / परिष्करण संबंधी घरेलू कंपनियों के लिए:

(i) माल भाड़ा जोखिम बचाव, अंतर्निहित संविदाओं अर्थात् क च्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात/ निर्यात आदेशों पर आधारित होगा ।

(ii) इसके अतिरिक्त, तेल परिष्करण संबंधी घरेलू कंपनियाँ कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर उनके पिछले वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के आधार पर कच्चे तेल के वास्तविक आयातों की मात्रा के **50** प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा के **50** प्रतिशत तक में से, जो भी अधिक हो, माल भाड़ा जोखिम के बचाव (हेज़)कर सकती हैं ।

(iii) विगत कार्य-निष्पादन सुविधा के तहत निष्पादित संविदाओं को बचाव की अवधि के दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित करना होगा । कंपनी से इस आशय का वचनपत्र

ले लिया जाना चाहिए ।

(बी) ज्जहाजरानी कंपनियों के लिएः

(i) ज्जोखिम बचाव जहजारानी कंपनी के स्वामित्व वाले /नियंत्रित जहाजों के आधार पर होगा, जिनके पास

कोई वचनबध्द रोज़गार नहीं होगा । हेजिंग की मात्रा इन जहाजों की संख्या और क्षमता के आधार पर

निर्धारित कीज्जाएगी । उसे किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए एवं प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) जोखिम बचाव की निष्पादित संविदाएं, अंतर्निहित दस्तावेज अर्थात् जोखिम बचाव की अवधि के दौरान जहाज पर रोजगार से सबंधित दस्तावेज, प्रस्तुत करके नियमित की जायें। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए ।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाजरानी कंपनियों द्वारा निष्पादित किए जा रहे माल भाड़ा डेरिवेटिवज्जहाजरानी कंपनियों के अंतर्निहित कारोबार का प्रतिरूप है ।

।।) अनुमत मार्ग

सहभागी:

उपयोगकर्ता (Users): कंपनियाँ (तेल परिष्करण और जहाजरानी संबंधी घरेलू कंपनियों को छोड़कर)ज्जो मालभाड़े के एक्सपोज़र से रूबरु हैं ।

फेसिलिटेटर: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

प्रयोजन: माल भाड़ा जोखिम की हेजिंग करना

उत्पाद: अंतर्राष्ट्रीय मंड़ी/बाजार में प्लेन वैनीला ओटीसी अथवा एक्स्चेंज व्यवसाय(ट्रेडेड) उत्पाद

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश

क) अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे की अवधि हेतु होगा ।

ख) विनिमय गृह, जहाँ उत्पादों की खरीद की जाती है, मेजबान देश में एक विनियमित संस्था होना चाहिए ।

ग) कंपनियों/फर्मों के आवेदनपत्र, जो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, रिज़र्व बैंक को विशिष्ट सिफारिशी पत्र के साथ संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के जरिये विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

खंड 'जी'

भरतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें पस्तुत करना

(i)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवासियों द्वारा किए गए क्रास करेंसी डेरिवेटिव संबंधी लेनदेनों के आंकड़ों को समेकित करें और छमाही रिपोर्ट (जून और दिसंबर) परिशिष्ट "ए" में दिए गए फार्मेट में प्रस्तुत करें ।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विदेशी मुद्रा में अपने जोखिमों के विवरण प्रत्येक तिमाही के अंत में परिशिष्ट "बी" में दिए गए फार्मेट में भेजें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह रिपोर्ट कंपनियों के विवरण के बजाय बैंक की बहियों के आधार पर प्रस्तुत करनी है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक परिशिष्ट"सी" में दिए गए फार्मेट के अनुसार साप्ताहिक आधार पर सभी स्वाप लेनदेनों के ब्योरे प्रस्तुत करें ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऑप्शन लेनदेनों (विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया) के ब्योरे परिशिष्ट "डी" में दिए गए फार्मेट के अनुसार साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत करें ।

(v) विदेशी संस्थागत निवेशक/निधि का नाम, रक्षा (कवर) की पात्रता राशि और ली गई वास्तविक रक्षा को दर्शाते हुए विदेशी संस्थागत निवेश के द्वारा लिए गए कवर के बारे में एक मासिक विवरणी परिशिष्ट "ई" में दिए गए फार्मेट में अनुवर्ती माह की दस तारीख तक प्रस्तुत करें।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से अपेक्षित है कि वे लघु एवं मध्यम उद्यमों और निवासी व्यक्तियों द्वारा बुक की गयी और निरस्त की गयी वायदा संविदा की परिशिष्ट "एफ" में दिए गए फार्मेट में एक तिमाही रिपोर्ट अनुवर्ती महीने के प्रथम सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। निवासियों के मामले में परिशिष्ट "जी" में

दिए गए फार्मेट में आवेदन पत्र-सह- घोषणापत्र के आधार पर ऐसी संविदाएं उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिये बुक की जाएं जिसके साथ निवासी व्यक्ति के बैंकिंग संबंध हैं।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से अपेक्षित है कि वह परिशिष्ट "जे" में दिए गए फार्मेट के अनुसार पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर उसके ग्राहकों द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई सीमाओं के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट (प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार के अनुसार) प्रस्तुत करे।

उल्लिखित सभी रिपोर्टें मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई 400 001 को भेजी जाएं ।

परिशिष्ट "ए"
(खंड "जी" , पैरा (i) देखें)

क्रॉस करेंसी संबंधी डेरिवेटिवलेनदेन - ----------को समाप्त अर्ध वार्षिक विवरण

उत्पाद	लेनदेन की संख्या	आनुमानिक मूल राशि अमरीकी डॉलर में
ब्याज दर स्वाप		
मुद्रा स्वाप		
कूपन स्वाप		
विदेशी मुद्रा विकल्प(आप्शन)		
ब्याज दर कैप या कॉलर (खरीद)		
वायदा दर करार		
रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य कोई उत्पाद		

परिशिष्ट "बी"

(खंड "बी" , पैरा I 1(i)(h) और खंड "जी" पैरा (ii) देखें)

दि.------को विदेशी मुद्रा में एक्स्पोजर से संबंधित जानकारी, बैंक का नाम---------										दि.------को विदेशी मुद्रा में एक्स्पोजर से संबंधित जानकारी, बैंक का नाम---------						सी.रुपया देयता पर आधारित भा.रुपया./ विदेशी मुद्रा(करेंसी) स्वाप (25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य/से अधिक रिपोर्ट किए जाएं)
ए. अंतर्निहित लेनदेनों पर आधारित एक्स्पोजर तथा हेजेस (मिलियन अमरीकी डालर में)										बी. विगत निष्पादन पर आधारित एक्स्पोजर तथा हेजेस (मिलियन अमरीकी डालर में)						
क्र.सं.	कंपनी का नाम	व्यपार संबद्ध						व्यपारेतर		निर्यात			आयात			
		निर्यात		आयात		शेष अल्पकालिक वित्त										
		एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	एक्स्पोजर	हेज राशि	पात्र सीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	पात्र सीमा	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	
1																
2																
3																
4																
5																
टिप्पणी																
ए. खरीदे गए /भुनाए गए / वार्तातय निर्यात बिल सम्मिलित न किए जाएं।																
बी. स्थापित साखपत्र/ साखपत्र के तहत निपटान हो चुके बिल/आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिलों को सम्मिलित किया जाए।																
सी. प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े कंपनी के विवरण पर आारित न होकर बैंक की बहियों पर आधारित हों।																
डी. अल्पकालिक वित्त में बैंक/पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित व्यापार ऋण (क्रेता ऋण/आपूर्तिकर्ता ऋण) का समावेश हो।																
ई. व्यापारेतर एक्सपोजर में बैंक द्वारा किए गए बा.वा.उ.,विमु प.बा. के मामले /विमुअ.(बैं) खातेगत ऋण आदि का समावेश हो।																
एफ. कंपनी वार आंकड़े जहाँ एक्स्पोजर अथवा हेजेस 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या से अधिक हों रिपोर्ट किए जाएं।																
जी. सभी हेजेस जिनमें रुपया एक लेग के रूप में हो रिपोर्ट किए जाएं।																
एच. विकल्प(आप्शन) स्ट्रक्चर के मामले में , उच्चतम नोशनल राशि वाले व्यापार रिपोर्ट किए जाएं।																
आइ. भारिबैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या उससे अधिक आकलित हुई पात्र सीमा संबंधी मामलों में कंपनी वार आंकड़े, पार्ट "बी. में रिपोर्ट किए जाएं।																
जे. भाग "बी" में हेज की गई राशि के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बुक किए गए हेजेस का संचयी																

जोड़ रिपोर्ट किया जाए।							
के. विगत वर्ष में बुक की गई संविदा राशि, जो बकाया है, को पार्ट "बी" में हेज की गई राशि तथा बकाया राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।							
एल. केवल वे मामले पार्ट "बी" में रिपोर्ट किए जाएं जिनमें बैंक ने कंपनियों को वायदा प्रीमियम(FP) सीमा को मंजूरी दी हो।							
कृपया रिपोर्ट एक्सेल फार्मेट ई-मेल से "ecdcofmd@rbi.org.in एवं प्रतिलिपि "fedcofmd@rbi.org.in पर भेजें।							

परिशिष्ट "सी"
(खंड "जी पैरा (iii) देखें)

------ से----- तक के सप्ताह के लिए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रुपया स्वाप की साप्ताहिक रिपोर्ट

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक का नाम:-

लेनदेन की तारीख	काल्पनिक(नोशनल) मूल मुद्रा और राशि	समतुल्य अमरीकी डॉलर	ग्राहक का नाम	वि. मु. से भा. रु./ भा. रू.से वि.मु.	खरीद/ बिक्री बाजार में प्रयुक्त राशि	अंतिम सप्ताह का शेष	चालू शेष

परिशिष्ट 'डी'
(खंड "जी" , पैरा (iv) देखें)

रुपया/विदेशी मुद्रा विकल्प (ऑप्शन)लेनदेन

----------को समाप्त सप्ताह के लिए

I. विकल्प (आप्शन)लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/ पार्टी का नाम	आनुमानिक (Notional)	क्रय/ विक्रय विकल्प	स्ट्राईक	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन*

*व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें ।

II. विकल्प स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	अनुमानित बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो गामा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
	क्रय	विक्रय			
अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर	अमरीकी डॉलर		
यूरो-भारतीय रुपया	यूरो	यरो	यूरो		
ज्जापानी येन - भारतीय रुपया	ज्जापानी येन	ज्जापानी येन	ज्जापानी येन		

(अन्य करेंसी युग्मों (पेयरों) के लिए इसी प्रकार से)

टोटल नेट ओपन ऑप्शन पोज़ीशन (आइएनआर)

4 अप्रैल 2003 के एपी (डीआइआर) सं. 92 में दिये गये तरीके का उपयोग करके टोटल नेट ओपन ऑप्शन पोजीशन (आइएनआर)का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियो डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में **0.25** प्रतिशत बदलाव (डॉलर-वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन=

भारतीय रुपए में स्पॉट में **0.25** प्रतिशत बदलाव (डॉलर- ोंस) के लिए अमरीकी डॉलर - भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन=

इसी प्रकार, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसी अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में **0.25** प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाइ वृद्धि और मूल्य ोंस अलग-अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राइक कंसंट्रेशन रिपोर्ट

तय मूल्य	परिपक्वता समूह					
	1 सप्ताह	2 सप्ताह	1 माह	2 माह	3 माह	> 3 माह

यह रिपोर्ट चालू हाजिर स्तर के आसपास 150 पैसे के दायरे के लिए तैयार किया जाना चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाएं।

सभी राशियां मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई विकल्प स्वीकार करता है, तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक किसी विकल्प का विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। **सभी रिपोर्टें मार्केट मेकरों द्वारा ई-मेल के माध्यम से fedcofmd@rbi.org.in को भेजी जाएं। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार की जाए तथा अगले सोमवार तक भेजी जा सकती है।**

परिशिष्ट- 'ई'

(खंड "जी" , पैरा (v) देखें)

विवरण - विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों द्वारा किए गए वायदा कवर के ब्योरे

माह -

भाग ए - बकाया वायदा कवर (पुनःबुकिंग के बगैर) के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम

वर्तमान बाज़ार मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

भाग बी - रद्द करने तथा पुनःबुक करने के लिए अनुमत लेनदेनों के ब्योरे

विदेशी संस्थागत निवेशक का नाम

वर्ष की शुरुआत में तय किए गए बाज़ार मूल्य

वायदा कवर के लिए पात्रता	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं		कुल बकाया वायदा कवर
	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	माह के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

दिनांक :

मुहर :

परिशिष्ट-‘ एफ’

(खंड "जी" , पैरा (vi) देखें)

बुक की गयी और निरस्त संविदाओं के ब्योरे

दिनांक ------को समाप्त तिमाही का विवरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

श्रेणी	बुक की गई वायदा संविदाएं		रद्द की गई वायदा संविदाएं	
	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह	तिमाही के दौरान	संचयी कुल - वर्ष से माह
लघु और मध्यम उद्यम				
व्यक्ति				

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम :
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :
दिनांक :
मुहर :

परिशिष्ट-'जी'

(खंड "बी" पैरा 1(3)(ii)(सी) तथा खंड "जी" पैरा (vi)देखें)

निवासी व्यक्तियों द्वारा 100,000 अमरीकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं बुक करने के लिए आवेदनपत्र सह घोषणापत्र

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

(क) नाम----------

(ख) पता----------

(ग) खाता संख्या----------

(घ) स्थायी खाता संख्या (पैन)----------

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के ब्योरे

1. राशि (करेंसी-युग्म का नाम दें)----------
2. अवधि----------

III. दिनांक ----------को बकाया वायदा संविदाओं की नोशनल

iv. कीमत

वास्तविक/प्रत्याशित प्रेषणों के ब्योरे

1. राशि
2. प्रेषण समय-सारिणी/अनुसूची
3. प्रयोजन

घोषणा

मैं ----------(आवेदक का नाम) एततद्वारा घोषणा करता हूँ कि भारत में ----------बैंक ---------- (नामित शाखा) में बुक की गई विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की कुल राशि 100,000 अमरीकी डॉलर (केवल एक लाख यू.एस.डॉलर) की नियत सीमा के भीतर है और प्रमाणित करता हूँ कि वायदा संविदाएं अनुमत च्चालू खाता और /अथवा पूँजी खाता लेनदेन के लिए हैं । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैने अन्य किसी बैंक /शाखा में कोई विदेशी मुद्रा वायदा संविदा बुक नहीं की है। मैं विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं की बुकिंग के अंतर्निहित जोखिमों से अवगत हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम :

स्थान

दिनांक

<u>प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक श्री ----------(आवेदक का नाम), स्थायी खाता संख्या (पैन) ---------- , दिनांक ----------से हमारे पास खाता

सं.----------(खाता संख्या) के धारक हैं । * हम प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक 'धन शोधन निवारण / अपने ग्राहक को जानने ' से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करता है और अपेक्षित "प्रयोक्ता उपयुक्तता " और "औचित्य" की जांच करके पुष्टि करते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम
स्थान
हस्ताक्षर
दिनांक व मुहर
* माह/वर्ष

परिशिष्ट 'एच'
(खंड 'ई' देखें)

ए. अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में पण्य मूल्य जोखिम की हेजिंग

1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (स्वर्ण, प्लैटिनम और च्चांदी को छोड़कर) में मूल्य जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकता है। नीचे दिए गए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करनेवाले और अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी वाणिज्यिक बैंक , अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र , मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई 400001 को भेज सकते हैं।

2.निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड जिन्हें प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों द्वारा पूरा किया जाना जरूरी है :

i) कम से कम तीन वर्षों से लगातार लाभप्रदता
ii) 9% न्यूनतम सीआरएआर
iii) उचित स्तर पर निवल अनर्जक परिसंपत्तियां किन्तु निवल अग्रिमों के 4% से अधिक नहीं।
iv) 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल मालियत

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कंपनियों को अनुमति प्रदान करें। रिज़र्व बैंक आवश्यक होने पर, बैंकों को दी गई अनुमति को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.कंपनियों को लेनदेनों की हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक उनसे बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत करने को कहे जिसमें दर्शाया गया हो (i) कि इस लेनदेनों में शामिल जोखिमों को बोर्ड समझता है (ii) हेजिंग लेनदेनों का स्वरूप ,ज्जो कंपनी आनेवाले वर्ष में करेगी तथा (iii) कंपनी सिर्फ वहां हेजिंग लेनदेन करेगी ज्जहां यह मूल्य ज्जोखिम से संबंधित हो। लेनदेन की सत्यता पर संदेश होने अथवा कंपनी के मूल्य ज्जोखिम से संबंधित न होने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक किसी हेजिंग लेनदेन से मना कर सकता है। वे शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत व्यापारी हेजिंग की अनुमति देंगे और लेनदेन पर निगरानी के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। यह

स्पष्ट किया ज्जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में देशी बिक्री/ खरीद लेनदेनों पर हेजिंग की अनुमति नहीं है बावजूद इसके कि देशी मूल्य पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है। ग्राहक द्वारा हेजिंग कार्यकलाप शुरू करने से पहले उन्हें आवश्यक परामर्श दिया ज्जाए।

4. पण्य हेजिंग के अनुमोदन देने की अनुमति प्राप्त बैंक उन कंपनियों के नाम जिन्हें पण्य हेजिंग की अनुमति दी गई है और उन पण्यों के नाम जिनकी हेजिंग की गई है ,देते हुए 31 मार्च की स्थिति के अनुसार एक महीने के अंदर प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग, अमर भवन, 5वीं मंजिल, मुंबई-400001 को भेजें।

5. हेजिंग लेनदेन करने के लिए ऐसे ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों को,ज्जो प्रत्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुमोदन के लिए भेजना जारी रखें।

अंतर्राष्ट्रीय मंडियों/ बाज़ारों में हेजिंग लेनदेन करने की लिए शर्तें/ मार्गदर्शी सिद्धांत

1. हेजिंग लेनदेन का केन्द्र जोखिम नियंत्रण पर होगा। केवल प्रति संतुलन हेजिंग की अनुमति है।
2. सभी मानक विदेशी मुद्रा व्यापारिक (स्टैंडर्ड एक्स्चेंज ट्रेडेड) भावी सौदे और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति है। यदि ज्जोखिम प्रोफाइल के लिए आवश्यक हो तो कंपनी/ फर्म ओटीसी संविदा का भी उपयोग कर सकती है। कंपनी/ फर्म ,ज्जब तक प्रीमियम का सीधे अथवा निहित निवल आवक न हो, तब तक अनुबंध एन में विस्तृत रूप से दिये गये दिशा-निर्देशों की शर्त पर विकल्प की खरीद और बिक्री दोनों को साथ-साथ शामिल कर विकल्प कार्यनीति का मिश्रित उपयोग कर सकती है। कंपनी/ फर्म को उसी ब्रोकर के पास प्रति लेनदेन करके विकल्प को रद्द करने की अनुमति है।
3. कंपनी/ फर्म, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I के पास एक विशेष खाता खोले। हेजिंग के प्रासंगिक सभी भुगतान/ प्राप्तियों को रिज़र्व बैंक को भेजे बगैर इस खाते के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I द्वारा अंजाम दिया जाए।

4. कंपनी के वित्तीय नियंत्रक द्वारा विधिवत पुष्टिकृत/प्रतिहस्ताक्षरित ब्रोकर की माह के अंत की रिपोर्ट (रिपोर्टों) की एक प्रति बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ऑफ-शोर स्थितियां फिज़िकल एक्सपोजरों द्वारा समर्थित हैं/थीं।

5. ब्रोकर द्वारा प्रस्तुत आवधिक विवरण, विशेषकर बुक किए गए लेनदेन और क्लोज़ड आऊट संविदाएं और अंतिम निपटान में प्राप्य/ देय राशि के ब्योरे प्रस्तुत करनेवाले विवरणों की कंपनी/ फर्म जांच करें। ब्रोकरों से असमायोजित (Unreconciled)मदों को तीन महीने के अंदर समायोजित करने को कहा जाए।

6. कंपनी/ फर्म अंतरपणन/ सट्टा लेनदेन न करें। इस संबंध में लेनदेनों की निगरानी की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I की होगी।

7. कंपनी/फर्म सांविधिक परीक्षक से वार्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करें। प्रमाणपत्र यह पुष्टि करे कि निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है और कि कंपनी/ फर्म का आंतरिक नियंत्रण संतोषजनक है। ये प्रमाणपत्र आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के लिए रिकार्ड में रखे जाएं।

बी.

कच्चे तेल का परिष्करण करनेवाली घरेलू कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के जोखिम की हेजिंग

1. हेजिंग केवल उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा की जानी है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जुलाई 2005 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 03/इस परिपत्र के पैरा डी (।) (ए) और परिशिष्ट (ए) और (बी) में भी दी गई शर्तों व दिशा-निर्देशों के अधीन विशेष रूप से प्राधिकृत किया है ।

2. उपर्युक्त हेजिंग करने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अपने जोखिमों की हेजिंग करने में कच्चे तेल की मार्केटिंग और रिफाइनिंग करनेवाली घरेलू कंपनियां निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करें :

   (i) उनके पास बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिये जो उस नीति के समग्र ढांचे को परिभाषित करती हो ,जिसमें डेरिवेटिव कार्य किये जाएं और जोखिम नियंत्रित हो

।

(ii) किसी विशिष्ट कार्यकलाप के लिए और ओटीसी मार्केट्स में भी कारोबार करने के लिए कंपनी के बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की गयी हो।

(iii) बोर्ड के अनुमोदन में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि दैनिक बाजार मूल्य को बहियों में अंकित करने की नीति, ओटीसी डेरिवेटिव के लिए अनुमत काउंटरपार्टियां आदि अनिवार्यत: सम्मिलित की गयी हैं ।

(iv) इस योजना के तहत हेजिंग सुविधा जारी रहने की अनुमति देने से पहले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस आशय का साक्ष्य देखें कि कच्चे तेल की मार्केटिंग और रिफाइनिंग करनेवाली घरेलू कंपनियां , प्रमाणित ओटीसी लेनदेनों की सूची छमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत करती हैं।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को, 20 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र सं.बैं.प.वि.वि. बीपी.बीसी.86/21.04.157/ 2006-07 के पैरा 8.3 में निहित "व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) पर व्यापक दिशा-निर्देशों के के अनुसार "ग्राहक द्वारा प्रयुक्त हेजिंग उत्पादों की "प्रयोक्ता उपयुक्तता " और "औचित्य" भी सुनिश्चित करना चाहिये ।

परिशिष्ट "आइ"
(खंड ई (।।) देखें)

अनुमत मार्ग

आयात और निर्यात या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अन्यथा अनुमोदित अन्य व्यापार में लगे हुए भारत में निवासी अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/बाज़ारों में सभी पण्य कीमत ज्जोखिम की हेजिंग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रत्यायोजित प्राधिकार के दायरे में न आनेवाली कंपनियों/ फर्मों की पण्य हेजिंग के लिए आवेदन किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के माध्यम से उनकी विशिष्ट सिफारिश के साथ निम्नलिखित विवरण देते हुए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये जाएं:

1.प्रस्तावित हेजिंग कार्यनीति का संक्षिप्त विवरण, अर्थात :

क)व्यवसाय/ कार्यकलाप का विवरण और जोखिम का स्वरूप,

ख)हेजिंग के उपयोग में लाए जानेवाले प्रस्तावित लिखत,

ग)पण्य मंडियों और ब्रोकर का नाम जिसके माध्यम से जोखिम की हेजिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता है और लिए ज्जाने वाले प्रस्तावित ऋण। संबंधित देश में विनियामक प्राधिकरण का नाम और पता भी दिया जाए,

घ) जोखिम (एक्सपोज़र)की मात्रा/औसत अवधि और/अथवा वर्ष में कुल पण्यावर्त और साथ में उसकी अनुमानित च्चरम स्थितियां और गणना का आधार।

2.प्रबंध-तंत्र द्वारा अनुमोदित ज्जोखिम प्रबंध नीति की प्रति जिसमें निम्नलिखित शामिल हो;

क) जोखिम की पहचान

ख)ज्जोखिम की माप

ग) हेजिंग स्थिति के पुनर्मूल्यांकन और/अथवा निगरानी के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशा-निदेश और प्रक्रिया

घ) लेनदेन करनेवाले अधिकारियों के नाम और पदनाम तथा सीमाएं

3.कोई अन्य संगत जानकारी

इस कार्यकलाप के लिए दिशा-निर्देश के साथ रिज़र्व बैंक द्वारा एक मुश्त अनुमोदन दिया जाएगा।

परिशिष्ट -" जे"
(खंड "बी" पैरा ।(2)(के) तथा खंड "जी" पैरा (vii)देखें)

पिछले निष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग -

दिनांक ----------की रिपोर्ट

बैंक का नाम ----------

(अमरीकी डॉलर में)

माह के दौरान स्वीकृत कुल सीमाए (1)	संचयी स्वीकृत सीमाएं (2)	बुक की गई संविदाओं की राशि (3)			उपयोग में लाई गई राशि (प्रलेखों के सुपुर्दगी द्वारा) (4)			रद्द किए गए वायदा संविदाओं की राशि (5)		
		वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/आइएनआर ऑप्शन	क्रॉस करेंसी ऑप्शन	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/आइएनआर ऑप्शन	क्रॉस करेंसी ऑप्शन	वायदा संविदा	विदेशी मुद्रा/आइएनआर ऑप्शन	क्रॉस करेंसी ऑप्शन

रिपोर्ट की तारीख तक विगत निष्पादन की सुविधा का लाभ उठानेवाले ग्राहकों की संख्या------

टिप्पणियां :

1. समग्र रूप में बैंक की स्थिति दर्शायी जाए।

2. स्तंभ 2, 3, 4 और 5 में दी गई राशियां वर्ष के दौरान संचयी स्थिति में होनी चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशियों को आगे ले जाकर अगले वर्ष की सीमा में शामिल कर दिया

जाएगा और इस प्रकार अगले वर्ष के लिए पात्र सीमाओं की गणना करते समय उसे शामिल किया जाएगा।

परिशिष्ट " के"
(खंड "बी" पैरा ।(2)(के) तथा (जी) (iv)देखें)

आयात / निर्यात पण्यावर्त, अतिदेय आदि के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

ग्राहक का नाम :- _____

(मिलियन अमेरीकी डॉलर में राशि)

वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च)	टर्नओवर		अतिदेय बिल टर्नओवर के कितने प्रतिशत हैं		पिछले कार्य - निष्पादन पर वायदा रक्षा (कवर)आधार पर बुकिंग के लिए वर्तमान सीमा	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
वर्ष 1						
वर्ष 2						
वर्ष 3						

परिशिष्ट"एल"
(खंड "ई" देखें)

समर्थनकारी पत्र/ बैंक गारंटी पत्र जारी करने के लिए दिशा-निर्देश/ शर्तें - पण्य हेजिंग संबंधी लेनदेन

1. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी केवल उन्ही मामलों में जारी कर सकते हैं, जो धनप्रेषण रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यायोजित प्राधिकार अथवा समुद्रपारीय पण्य बचाव (हेजिंग) के लिए स्वीकृत विशिष्ट अनुमोदन के दायरे में आते हों।
2. जारीकर्ता बैंक को जोखिम(एक्स्पोजर) के स्वरूप और उसकी सीमा के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखनी होगी जिसे बैंक ऐसे लेनदेनों के लिए वहन कर सकें और वह ग्राहक के ऋण जोखिम(एक्सपोज़र) का हिस्सा हो। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋण जोखिम भारित होने चाहिए।
3. कंपनी के अनुमोदित पण्य हेजिंग कारोबार के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के विशिष्ट भुगतान दायित्वों को भरने के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी की जा सकती हैं।
4. विशिष्ट काउंटरपार्टियों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई अधिकतम मार्जिन राशि से अनधिक राशि के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी की जा सकती हैं।
5. ग्राहक को उपलब्ध गैर-निधि आधारित सुविधा (समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी) पर पुनर्ग्रहणाधिकार के तहत अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए समर्थनकारी साख पत्र/ बैंक गारंटी जारी की जा सकती हैं ।
6. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि समुद्रपारीय पण्य जोखिम बचाव (हेजिंग)के लिए दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन किया गया है।
7. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर की माह के अंत की रिपोर्टें, जिन्हें कंपनी के वित्तीय

नियंत्रक द्वारा भली-भाँति प्रमाणित किया गया हो, प्रस्तुत की जाती हैं ।

8. सभी अपतटीय निवेश (Physical off-shore positions) फिजिकल एक्सपोज़रों द्वारा द्वारा समर्थित /पुष्ट हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ब्रोकर की मासिक रिपोर्ट बैंक द्वारा सत्यापित की जाए ।

परिशिष्ट "एम"

खंड "बी" पैरा 1(2) (जी)(ii)देखें)

विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों की घोषणा का फॉर्मेट

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर)

दिनांक:

प्रति,

(बैंक का नाम और पता)

महोदय

विषय: विगत निष्पादन सुविधा के तहत बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों की घोषणा

हम, विशेषत: इस संबंध में (वचनपत्र) दिनांक ( ) को हमारे द्वारा आपको प्रस्तुत वचनपत्र के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के पास विगत निष्पादन सुविधा पर आधारित विदेशी मुद्रागत निहित वायदा अथवा विकल्प संविदाओं की बुकिंग की सुविधा का हवाला देते हैं ।

उक्त वचनपत्र के अनुसरण में, हम एतद्वारा सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के पास हमारे द्वारा बुक किये गये लेनदेनों की राशियों के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

हम निम्नलिखित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक/कों से विगत निष्पादन सीमा की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं:

फेमा विनियमावली के तहत यथा अनुमत उक्त विगत निष्पादन सुविधा के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों के पास बुक की गयी/रद्द की गयी राशियों के संबंध में जानकारी नीचे दी जाती हैं :

(राशि अमरीकी डॉलर में)

विगत निष्पादन के तहत पात्र सीमा	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास बुक की गयी संविदाओं की सकल राशि	अप्रैल से आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास/के मार्फत रद्द की गयी संविदाओं की	आज की तारीख तक सभी प्रा.व्या. के पास शेष/ बकाया संविदाओं की राशि	आज की तारीख तक उपयोग में लाई गयी राशि (प्रलेखों की सुपुर्दगी द्वारा)	आज की तारीख में विगत निष्पादन के तहत उपलब्ध सीमा

		सकल राशि			

धन्यवाद

भवदीय

कृते-------
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

परिशिष्ट "एन"
(परिशिष्ट "एच" पैरा "ए" देखें)

यूजर को समुद्रपारीय पण्य की हेजिंग के लिए एक साथ खरीद तथा बिक्री के द्वारा संयुक्त ओटीसी विकल्प रणनितियों को अपनाने की अनुमति देने संबंधी शर्ते

यूजर- 100 करोड़ रुपये न्यूनतम निवल मालियत वाली सूचीबद्ध कंपनियां तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियां,ज्जो निम्नलिखित का पालन करती हो:

- लेखांकन मानक 30 और 32 को अपनाना (अनुपालन न करनेवाली कंपनियों के लिए - वे कंपनियां जो लेखांकन मानक 30/32 के तहत यथा परिकल्पित लेखांकन ट्रीटमेंट तथा डेरिवेटिव संविदाओं पर डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का पालन करती हो ।
- जोखिम प्रबंधन नीति हो तथा उक्त नीति में एक विशेष खंड हो कि वे उल्लिखित संयुक्त ओटीसी विकल्प रणनीतियों का उपयोग करने के लिए अनुमत हो ।

परिचालनात्मक दिशा-निर्देश, शर्ते

ए. यूजर द्वारा एकल आधार पर विकल्प लिखना अनुमत नहीं है । तथापि, यूजर लागत कटौती स्ट्रक्चर के भाग के रूप में विकल्प लिख सकते हैं बशर्ते उसमें प्रीमियम की निवल प्राप्ति न हो ।

बी. लीवरेज्ड स्ट्रक्चर, डिजिटल विकल्प, बैरियर विकल्प तथा कोई अन्य जटिल वित्तीय उत्पाद अनुमत नहीं हैं ।

सी. विकल्पों का डेल्टा टर्म शीट में स्पष्ट रुप से दर्शाया जाना चाहिए ।

डी. अधिकतम काल्पनिक(notional) पण्यावर्त के साथ स्ट्रक्चर के भाग की गणना अंतर्निहित (अंडरलायिंग) प्रयोजन के लिए की जानी चाहिए ।

इ. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक, अतिरिक्त सेफगार्डस् जैसे परिचालनों के आकार के आधार पर सतत लाभप्रदता,

आदि तथा यूजर के जोखिम की प्रोफाइल निर्धारित कर सकते हैं ।